न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 67/2017 (223 आरटीए) सिकंदर वगै. बनाम सत्तार वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00237)

1 सिकंदर पुत्र इब्राहिम,
2 सायरा पत्नी इब्राहिम,
3 सराज मोहम्मद पुत्र इब्राहिम
जातियान मुसलमान निवासीगण बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा।

..... अपीलांटस्

बनाम

1 सत्तार पुत्र श्री करीमबक्ष जाति मुसलमान निवासी बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
2 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बिलाड़ा।

..... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा दिनांक 22.03.2017 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 70/2011

उपस्थित :
1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री चंद्रशेखर पुरोहित।
2 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।
3 रेस्पो. सं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 31.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के राजस्व वाद सं. 70/2011 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.03.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के समक्ष धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. सं. 1 की ओर से राजस्व वाद सं. 70/2011 पेश किया कि ग्राम बिलाड़ा चक नं. 1 की सरहद में भूमि खसरा नं. 627 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं. 604 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 628 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा स्थित है। जिसकी खातेदारी

3/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रहीमबक्ष पुत्र अमजी की थी। रहीमबक्ष का सगा भाई करीमबक्ष था। करीमबक्ष का करीब 30 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। करीमबक्ष की भूमि खसरा नं. 637, 604, 628 के बंट व खातेदारी की भूमि में नाम दर्ज नहीं होने के कारण करीमबक्ष के सगे भाई रहीमबक्ष ने अपनी खातेदारी भूमि खसरानं. 627, 604, 628 को वादी रेस्पोडेंट एवं अपीलांट्स प्रतिवादी को बंटवाड़ा में दे दी गई। जिसके अनुसार भूमि खसरा नं. 627 रकबा 19 बिस्वा में वादी रेस्पोडेंट का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी अपीलांट्स संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी अपीलांट सं. 2 का 1/4 हिस्सा बंट में रख दिया। इस प्रकार करीम बक्ष के दोनों वारिसान का समान हक व हिस्सा भूमि खसरा नं. 627 रकबा 19 बिस्वा में रख दिया गया जिसका जमाबंदी संवत 2026–29 में इन्द्राज किया गया। भूमि खसरा नं. 627 रकबा 19 बिस्वा में वादी का 1/2 हिस्सा है जो वादी रेस्पोडेंट अपनी खातेदारी की भूमि का हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कराकर अपने 1/2 हिस्से की भूमि अलग से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है। इस भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण की दखलंदाजी के कारण बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश करना पड़ रहा है। वादी ने अपने वाद में निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेंट का दावा डिक्री किया जाकर वादी रेस्पोडेंट्स को 1/2 हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा किया जाकर वादी रेस्पोडेंट्स की खातेदारी में अलग से दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र का जबाब पेश किया गया कि प्रस्तुत वाद प्रस्तुति के पूर्व ही प्रतिवादी अपीलांट्स सिकंदर व सायरा की ओर से इसी खसरा नं. 627 की घोषणा के लिए प्रतिवादी अपीलांट्स द्वारा वादी रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध वाद पेश किया जा चुका है। जिसके राजस्व वाद सं. 11/2011 हैं। वादी रेस्पोडेंट ने खसरा नं. 627 में वादी का कोई हक हिस्सा नहीं हैं क्योंकि खसरा न. 628 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा वादी रेस्पोडेंट्स एवं प्रतिवादीगण अपीलांट्स की सामलाती भूमि थी, जिसमें दोनों का बराबर हक हिस्सा था, बेचाननामा वादी रेस्पोडेंट द्वारा किया गया और संपूर्ण प्रतिफल वादी रेस्पोडेंट ने प्राप्त किया, उक्त भूमि में प्रतिवादीगण अपीलांट्स का 1 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि हिस्से में आती थी जिसके एवज में खसरा नं. 627 रकबा 19 बिस्वा का 1/2 हिस्सा जो वादी रेस्पोडेंट्स का बनता था, उक्त बेचान किए गए भू–भाग के बदले में प्रतिवादीगण अपीलांट्स को दे दिया। उक्त बेचान दिनांक 28.04.1990 को किया गया तब से उक्त भूमि पर वादी का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं हैं। वादी का वाद खारिज करने का निवदेन किया गया। उभयपक्षकारान के उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर तनकीयात कायम की गई। तथा तनकीयात के समर्थन में वादी/रेस्पोडेंट एवं प्रतिवादीगण/अपीलांट्स की ओर से साक्ष्य करवाए गए तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर रेस्पोडेंट वादी का वाद

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन निर्णय के जरिए स्वीकार कर डिक्री कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.03.2017 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री चंद्रशेखर पुराहित ने लिखित बहस पेश कर अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 3 व 4 का निर्णय प्रतिवादी के विरुद्ध पारित कर भारी कानूनी व वाक्याती भूल की है। तनकी नं. 4 इस प्रकार थी कि आया खसरा नं. 628 वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती भूमि थी जिसका बेचान वादी ने किया और प्रतिफल की राशि प्राप्त की तथा जिसकी एवज में वादी ने भूमि खसरा नं. 627 प्रतिवादीगण को दे दिया? ... .. जिम्मे प्रतिवादी। इस तनकी का निर्णय पारित करते वक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं वादी का सशपथ एवं प्रतिपरीक्षा के सशपथ कथनों पर कतई गौर नहीं किया स्वयं वादी ने अपे प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि यह बात सही है कि 19 बिस्वा भूमि का 1/2 हिस्सा मेरा बनता था जो अभी नहीं दिया है परंतु उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, मैंने जबरदस्ती के संबंध में पुलिस कार्यवाही भी की थी। जबकि वादी का वादग्रस्त आराजी पर बंटवाड़ा का दावा पेश करते वक्त कोई कब्जा नहीं था। इससे यह साबित होता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य खसरा नं. 628 का विक्रय दिनांक 28.04.1990 को किया गया संपूर्ण प्रतिफल राशि वादी द्वारा प्राप्त की गई एवं मुताबिक समझौता दिनांक 28.04.90 को ही वादग्रस्त आराजी का कब्जा प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपीलांट्स को सौंप दिया। जिस पर 25 वर्ष कब्जा प्रतिवादीगण का चला आ रहा है। वादग्रस्त कृषि आराजी पर वादी का कोई भौतिक व वास्तविक कब्जा ही नहीं था तथा वादी ने कब्जे की कोई मांग अपने वादपत्र में नहीं की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 4 का निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है।

तनकी सं. 3 इस प्रकार है कि आया खसरा नं. 627 पर वादी का कोई हक व हिस्सा व अधिकार नहीं हैं। इस तनकी का निर्णय तनकी सं. 4 पर आधारित है। तनकी सं. 4 का निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त विवेचन अनुसार कानूनी भूल की है अतः तनकी सं. 3 का निर्णय भी प्रतिवादीगण के विरुद्ध पारित करने में भूल की है।

तनकी सं. 1 आया ग्राम बिलाड़ा चक सं. 1 की सरहद में स्थित भूमि खसरा नं. 627 रकबा 19 बिस्वा में वादी 1/2 हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा कराकर अलग से अपनी खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है? .... जिम्मे वादी। उपरोक्त विवेचन के अनुसार तनकी सं. 4 में

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विधिक एवं तथ्यात्मक एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनों एवं प्रतिवादीगण के बयानों एवं स्वयं वादी के बयानों से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त कृषि आराजी पर वादी का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा अपने स्वयं के अभिवचनों को प्रमाणित नहीं किया बल्कि इसके विपरीत स्वयं वादी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण का ही कब्जा काश्त है ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 1 का निर्णय वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध पारित कर कानूनी व वाक्याती भूल की है।

तनकी सं. 2 आया प्रतिवादी सं. 1 व 2 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे? ... जिम्मे वादी। इस तनकी के संबंध में पत्रावली पर यह स्पष्ट साक्ष्य स्वयं वादी के स्वीकृत कथन कि वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा वादी का है ही नहीं तथा प्रतिवादीगण का कब्जा ही चला आ रहा है। तथा कब्जे के अभाव में वादी किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था। इस तनकी का निर्णय करते वक्त अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर कोई गौर नहीं किया। जब तक प्रतिवादीगण अपीलांट्स का वादी के विरुद्ध प्रस्तुत राजस्व मूल वाद सं. 10/2011 का न्यायोचित निर्णय होने के बाद ही इस बंटवारे के दावे का निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत था। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के सारभूमि सिद्धोतों की अनदेखी कर तनकी सं. 2 का निर्णय कि इस तनकी का निर्णय अंतिम डिक्री में किया जाएगा विधि विरुद्ध है।

उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 1, 2, 3 व 4 का निर्णय पारित करने में भूल की है अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपनी लिखित बहस के साथ न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 2017 केरला 128, 2013(2) आर.आर.टी 1060, 2006(2) आर. आर.टी. 1316, 2013(2) आर.आर.टी. 1078, 2004(1) आर.आर.टी. 630 पेश किये।

अपीलांट के अधिवक्ता ने धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि धारा–5 का प्रार्थना पत्र अपील में हुई देरी को कंडोन करने के लिए प्रस्तुत किया है। अपीलांट्स प्रतिवादी सं. 3 जो 80 वर्ष की वृद्ध महिला है तथा अपीलांट्स सं. 01 जो कृषक है मात्र साक्षर है। अभी हाल ही में दो दिन पूर्व ही अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता से व्यक्तिगत संपर्क किया और अपने मुकदमें की प्रगति के बारे में जानकारी चाही तो अधिवक्ता ने यह कहा कि आपके विरुद्ध निर्णय पारित हो चुका है तथा प्रतिलिपि मैंने प्राप्त कर ली थी। तब हमें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री की दिनांक 22.03.2017 की सत्यप्रति उपलब्ध करवाई तब निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः धारा–5 मियाद अधिनियम का

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करते हुए अपील को अंदर मियाद शुमार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित करते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया। धारा–5 के संबंध में न्यायिक दृष्टांत 2012(1) आर.आर.टी 137, ए.आई.आर. 2013 (एम.पी.) पेज 138, 2005(3) सी.सी.सी. 723 (पीएण्डएच), 2006(2)सी.सी.सी. 546 (पीएण्डएच) पेश किये।

5 यह अपील देरी से पेश की गई है। रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी ने इसका विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा–5 का जबाब पेश कर कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट के अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया गया था जिसकी जानकारी अपीलांट को उस दिन से ही थी। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए देरी से प्रार्थना पत्र पेश करने के आधार पर आदेश की जानकारी का अभाव नहीं माना जा सकता व उसके आधार पर अपील अंदर मियाद नहीं मानी जा सकती। नकल मिलने के बाद भी अपीलांट्स की ओर से अपील पेश करने में हुई देरी का कारण नहीं बताया गया है अतः अपील पेश करने में जानबूझकर हुई देरी को माफ नहीं किया जा सकता। अतः धारा–5 अधिनिमय का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अपील मियाद बाहर मानकर खारिज करने का निवेदन किया।

अपील की मैरिट पर बहस करते हुए रेस्पो. के अधिवक्ता ने कथन किया कि खसरा नं. 604, 627 व 628 जिसकी खातेदारी रहीमबक्स पुत्र अमजी की थी। रहीमबक्स का सगा भाई करीमबक्स था करीमबक्स की 30 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। करीमबक्स का भूमि खसरा नं. 627, 604 व 628 के बंट व खातेदारी में नाम दर्ज नहीं होने के कारण करीमबक्स के सगे भाई रहीमबक्स ने अपने खातेदारी की भूमि खसरा नं. 604, 627 व 628 को वादी एवं प्रतिवादी को बंटवाड़ा में दे दी गई। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 627 रकबा 19 बिस्वा में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 का 1/4 हिस्सा बंट में रख दिया। इस प्रकार करीमबक्स के दोनों वारिसानों का समान हक व हिस्सा भूमि खसरा नं. 627 रकबा 19 बिस्वा में रख दिया। जिसका जमाबंदी में भी इन्द्राज है। दिनांक 12.12.2011 को प्रतिवादी सं. 2 ने अपना संपूर्ण 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 को बख्शीश कर दिया लेकिन बख्शीशनामें के आधार पर अप्रार्थी सं. 3 के नाम से नामांतरकरण स्वीकृत नहीं किया गया है। इस कारण अप्रार्थी सं. 2 को पक्षकार बनाया गया है। इसलिए वादी 1/2 हिस्सा का बंटवारा कराए जाने व स्थाई निषेधाज्ञा का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि वादी/रेस्पो. सं. 1 व प्रतिवादीगण/अपीलांट के सहखातेदारी की अविभाजित भूमि है। वादी ने अपने वाद को साक्ष्य व शपथ पत्रों से सिद्ध किया है। प्रतिवादीगण अपीलांट ने तनकी नं. 4 को

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सिद्ध करने के लिए ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि खसरा नं. 628 की भूमि के विक्रय के प्रतिफल की राशि अकेले रेस्पो. ने ली हो। जबकि वास्तविकता यह है कि बेचान के बाद प्रतिफल की राशि वादी व प्रतिवादीगण ने राशि 1/2–1/2 ली थी। उस भूमि के विक्रय होने से अब उसका कोई संबंध नहीं हैं। वर्तमान में केवल खसरा नं. 627 शेष है जो संयुक्त खातदोरी का है जिसका बंटवारे का दावा है। प्रतिवादीगण/अपीलांट ने खसरा नं. 627 की खातेदारी घोषणा के लिए राजस्व वाद सं. 11/2011 सिकंदर बनाम सत्तार पेश किया था जिसे अपीलांट ने दिनांक 09.11.2017 को विड्रो कर लिया। अपीलांट ने खातेदारी अधिकारों के घोषणा के दावे को विड्रो करने के तथ्य को छुपाया है व अपीलांट न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। संयुक्त खातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर सहखातेदार का कब्जा माना जाता है। संयुक्त खातेदारी की भूमि पर सहखातेदारों के मध्य एडवर्स पजेशन भी लागू नहीं होता है। अतः इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवाईज सही निर्णय पारित किया है तथा घोषणा के दावे को विड्रो करने से खसरा नं. 627 की भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि प्रमाणित हो जाती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को यथावत रखने का निवेदन किया। तथा अपील को मियाद के साथ–मैरिट पर भी खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 यह अपील देरी से पेश की गई है। अपीलांट की ओर से धारा–5 का प्रार्थना पत्र अपील में हुई देरी को कंडोन करने के लिए प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलांट्स प्रतिवादी सं. 3 जो 80 वर्ष की वृद्ध महिला है तथा अपीलांट्स सं. 01 जो कृषक है मात्र साक्षर है। अभी हाल ही में दो दिन पूर्व ही अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता से व्यक्तिगत संपर्क किया और अपने मुकदमें की प्रगति के बारे में जानकारी चाही तो अधिवक्ता ने यह कहा कि आपके विरुद्ध निर्णय पारित हो चुका है तथा प्रतिलिपि मैंने प्राप्त कर ली थी। तब हमें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री की दिनांक 22.03.2017 की सत्यप्रति उपलब्ध करवाई तब निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करते हुए अपील को अंदर मियाद शुमार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने का निवेदन किया। रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी ने इसका विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। अपीलांट ने प्रार्थना

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पत्र धारा–5 का जबाब पेश कर कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट के अधिवक्ता की उपसिथिति में पारित किया गया था जिसकी जानकारी अपीलांट को उस दिन से ही थी। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए देरी से प्रार्थना पत्र पेश करने के आधार पर आदेश की जानकारी का अभाव नहीं माना जा सकता व उसके आधार पर अपील अंदर मियाद नहीं मानी जा सकती। नकल मिलने के बाद भी अपीलांट्स की ओर से अपील पेश करने में हुई देरी का कारण नहीं बताया गया है अतः अपील पेश करने में जानबूझकर हुई देरी को माफ नहीं किया जा सकता। अतः धारा–5 अधिनिमय का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अपील मियाद बाहर मानकर खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसने अधिवक्ता से किस दिनांक को संपर्क किया व उसे वास्तव में किस दिनांक को अपीलाधीन ओदश की जानकारी हुई। निर्णय व डिक्री दिनांक 22.03.2017 की है जबकि अपील दिनाक 01.08.2017 को पेश की गई जिसमें देरी का कोई संतोष जनक कारण नहीं दिया है। अतः धारा–5 में वर्णित अस्पष्ट तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। इसी कारण अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरें भी इस प्रकरण में मदद नहीं करती है। अतः प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। तदनुसार अपील मियाद बाहर पाई जाती है।

9 अपील के मैरिट पर देखने के लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व तनकीवाईज विवेचन का विश्लेषण किया जाना उचित रहेगा। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने चार तनकीयात कायम की थी जो इस प्रकार हैं।

तनकी सं. 1 आया ग्राम बिलाड़ा चक सं. 1 की सरहद में स्थित भूमि खसरा नं. 627 रकबा 19 बिस्वा में वादी 1/2 हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा कराकर अलग से अपनी खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है? .... जिम्मे वादी। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी का विवेचन के अनुसार वादी का भूमि खसरा नं. 628 से कोई संबंध नहीं हैं वादी का भूमि खसरा नंबर 627 रकबा 19 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा कानूनी तौर पर निहित है। अधीनस्थ न्यायालय के विवेचन में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

तनकी सं. 2 आया प्रतिवादी सं. 1 व 2 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे? ....जिम्मे वादी। इस तनकी का निर्णय अंतिम डिक्री के समय ही किया जाना संभव है क्योंकि वर्तमान में भूमि संयुक्त खातेदारी की है व हर इंच–इंच पर सहखातेदार का कब्जा होता है। अतः विवेचन में कोई त्रुटि नहीं हैं।

तनकी सं. 3 आया खसरा नं. 627 पर वादी का कोई हक व हिस्सा व अधिकार नहीं हैं। ... जिम्मे प्रतिवादी। इस तनकी में अधीनस्थ न्यायालय ने

खसरा नं. 627 का संयुक्त भूमि का 1/2 हिस्से का वादी को रिकार्डेड खातेदार माना है। खसरा नं. 628 का संबंध मौजूदा दावे से नहीं हैं। प्रतिवादीगण द्वारा खातेदारी घोषणा के लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद सं. 11/2011 को प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 09.11.2017 को विड्रो कर लिए जाने से इसकी पुष्ठि हो जाती है। अतः इस तनकी को प्रतिवादी सिद्ध करने में असफल रहा है। तदनुसार यह तनकी प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित किया जाने में कोई त्रुटि नहीं हैं।

तनकी नं. 4 आया खसरा नं. 628 वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती भूमि थी जिसका बेचान वादी ने किया और प्रतिफल की राशि प्राप्त की तथा जिसकी एवज में वादी ने भूमि खसरा नं. 627 प्रतिवादीगण को दे दिया? ... .. जिम्मे प्रतिवादी। इस तनकी के अधीनस्थ न्यायालय के विवेचन पर अपीलांट ने आपत्ति की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी का विस्तृत विवेचन नहीं किया है। अतः इस तनकी का विस्तृत विवेचन किया जा रहा है। अपीलांट का तर्क यह है कि इस तनकी का निर्णय पारित करते वक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं वादी का सशपथ एवं प्रतिपरीक्षा के सशपथ कथनों पर कतई गौर नहीं किया स्वयं वादी ने अपने प्रति परीक्षण में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि यह बात सही है कि 19 बिस्वा भूमि का 1/2 हिस्सा मेरा बनता था जो अभी नहीं दिया है परंतु उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, मैंने जबरदस्ती के संबंध में पुलिस कार्यवाही भी की थी। जबकि वादी का वादग्रस्त आराजी पर बंटवाड़ा का दावा पेश करते वक्त कोई कब्जा नहीं था। इससे यह साबित होता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य खसरा नं. 628 का विक्रय दिनांक 28.04.1990 को किया गया संपूर्ण प्रतिफल राशि वादी द्वारा प्राप्त की गई एवं मुताबिक समझौता दिनांक 28.04.90 को ही वादग्रस्त आराजी का कब्जा प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपीलांट्स को सौंप दिया। जिस पर 25 वर्ष कब्जा प्रतिवादीगण का चला आ रहा है। वादग्रस्त कृषि आराजी पर वादी का कोई भौतिक व वास्तविक कब्जा ही नहीं था तथा वादी ने कब्जे की कोई मांग अपने वादपत्र में नहीं की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 4 का निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। हमने अपीलांट के उक्त तर्क के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट का मुख्य जोर इस बात पर है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य खसरा नं. 628 का विक्रय दिनांक 28.04.1990 को किया गया संपूर्ण प्रतिफल राशि वादी द्वारा प्राप्त की गई एवं मुताबिक समझौता दिनांक 28.04.90 को ही वादग्रस्त आराजी का कब्जा प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपीलांट्स को सौंप दिया। लेकिन इस कथन की पुष्ठि में न तो दिनांक 28.04.90 का बेचाननामा पेश किया है न ही प्रतिफल की राशि पूरी लेने व उसके बदले खसरा नं. 627 का कब्जा सौंपने के संबंध में कोई लिखापढ़ी या दस्तावेज पेश किया है। केवल प्रतिवादी/अपीलांट्स के मौखिक बयानों से सह खातेदारी की भूमि का

3/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कब्जा सुपूर्द नहीं माना जा सकता। जहां तक वादी रेस्पोडेंट के बयानों में यह बात आई है कि यह बात सही है कि 19 बिस्वा भूमि का 1/2 हिस्सा मेरा बनता था जो अभी नहीं दिया है परंतु उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, मैंने जबरदस्ती के संबंध में पुलिस कार्यवाही भी की थी। इस कथन से भी यह पुष्ठि नहीं हो रही है कि प्रतिवादीगण को 1/2 हिस्से की भूमि सौंपी थी। जबकि यह सिद्ध हो चुका है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिस पर रिकार्डेड खातेदार का कब्जा माना जाता है क्योंकि सहखातेदारी की भूमि पर एडवर्स पजेशन का नियम लागू नहीं होता है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण/अपीलांट्स के विरुद्ध तय की जाती है। तनकीयात के उपरोक्त विवेचन से अपीलांट वाद ग्रस्त भूमि का केवल 1/2 हिस्से का सह खातेदार है व रेस्पोडेंट भी 1/2 हिस्से का सह खातेदार प्रमाणित होता है। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं क्योंकि उनके प्रकरणों के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न हैं। अतः तनकीयात के उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। तदनुसार अपील मैरिट पर भी खारिज योग्य पाई जाती है।

10 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.03.2017 यथावत रखा जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

31/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर
बइजलाज श्री दाताराम,आर.ए.एस
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00237)

अपील संख्या 67/2017

अपीलांट		रेस्पोडेन्ट
1.सिकंदर पुत्र इब्राहिम 2.सायरा पत्नी इब्राहिम 3.सराज मोहम्मद पुत्र इब्राहिम जातियान मुसलमान निवासीगण बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा।	बनाम	1.सत्तार पुत्र श्री करीमबक्ष जाति मुसलमान निवासी बिलाड़ा,तहसील बिलाडा,जिला जोधपुर। 2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बिलाड़ा।

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवम् डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा दिनांक 22.03.2017 अन्तर्गत राजस्व वाद सं. 70/2011

यह अपील बतारीख 31/08/2018 बहाजरी अपीलांट अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर पुरोहित एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी व रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर,एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.03.2017 यथावत रखा जाता है ।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग .....00.....) रूपये .....00..... अदा करे खर्चा मुकदमा मातहत का .....00..... अदा करे

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 31.08.2018 को जारी हो किया गया।

31/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1.स्टाम्प अपील 2.स्टाम्प वकालतनाम 3.इजराय हुक्मनामा 4.वकील फीस बाबत् मीजान		1.स्टाम्प वकालतनामा 2.स्टाम्प अर्जी 3.इजराम हुक्मनामा 4.मेहनतामा मीजान	

31/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर